



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrko@gmail.com

पत्र सं 8बी/यू.पी./04/127/2013/एफ.सी. | 195

दिनांक: 26/7/16

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),

वन विभाग,

17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : 800 के0 वी0 एच0वी0डी0सी0 लखनऊ—आगरा पारेषण लाईन के निर्माण हेतु (1) जनपद आगरा में 0.4692 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 194 वृक्षों का पातन (2) जनपद फिरोजाबाद में 5.83 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि तथा 0.7457 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 6.5757 हेक्टेयर वनभूमि एवं 07 वृक्षों का पातन तथा 16380 पौधों को हटाये जाने एवं (3) जनपद इटावा 0.9108 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि औरया में 0.4968 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 1.41 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 35 वृक्षों के पातन की अनुमति, इस प्रकार परियोजना में कुल 8.4549 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिक प्रयोग एवं बाधक 236 वृक्षों के पातन की अनुमति तथा 16380 पौधों को हटाये जाने की अनुमति के संबंध में।

- सन्दर्भ : (क) नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 2159 /आगरा पारेषण लाईन, दिनांक- 16.04.2014
(ख) नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-554 /आगरा पारेषण लाईन, दिनांक- 08.09.2015
(ग) नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 2226 /आगरा पारेषण लाईन /26.04.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या- 1763 /14-2-2013-800 (80) /2013, दिनांक- 19.08.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 31.10.2013 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्रों (संदर्भित पत्र- क, ख एवं ग) द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 800 के0 वी0 एच0वी0डी0सी0 लखनऊ—आगरा पारेषण लाईन के निर्माण हेतु (1) जनपद आगरा में 0.4692 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 194 वृक्षों का पातन (2) जनपद फिरोजाबाद में 5.83 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि तथा 0.7457 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 6.5757 हेक्टेयर वनभूमि एवं 07 वृक्षों का पातन तथा 16380 पौधों को हटाये जाने एवं (3) जनपद इटावा 0.9108 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि औरया में 0.4968 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 1.41 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 35 वृक्षों के पातन की अनुमति, इस प्रकार परियोजना में कुल 8.4549 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिक प्रयोग एवं बाधक 236 वृक्षों के पातन तथा 16380 पौधों को हटाये जाने की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 16.90 हेक्टेयर ($8.4549 \times 2 = 16.90$ ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

कृपया जारी करें।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे स्थित पड़े स्थानों पर छोटे पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी अभियन्ता, पारेषण पूर्व, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन लिंग, आगरा, उत्तर प्रदेश।
9. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
10. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)